

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1284/2024, लखनऊ, दिनांक :- 04.11.2024

आ दे श

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली - 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन
माह दिसम्बर, 2024 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क0सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1	पीठ-1 लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	दि0 09.12.2024 से 12.12.2024 दि0 23.12.2024 से 27.12.2024	सदस्य पीठ 1, लखनऊ सदस्य, पीठ 2 लखनऊ सदस्य, पीठ-1, लखनऊ सदस्य, पीठ-3, लखनऊ
2	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर।	दि0 16.12.2024 से 19.12.2024	सदस्य, पीठ-1, झाँसी सदस्य, पीठ-2, कानपुर
3	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा।	दि0 16.12.2024 से 19.12.2024	सदस्य, पीठ -1, नोएडा सदस्य, पीठ-2, नोएडा
4	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद।	दि0 09.12.2024 से 12.12.2024 दि0 23.12.2024 से 27.12.2024	अध्यक्ष, वाणिज्यकर अधिकरण सदस्य, पीठ-2, गाजियाबाद सदस्य, पीठ-1, गाजियाबाद सदस्य, पीठ-2, गाजियाबाद
5	पीठ-वाराणसी	पीठ-1,2,3,4,5 व 6 वाराणसी	दि0 16.12.2024 से 19.12.2024	सदस्य, पीठ-1- वाराणसी सदस्य पीठ -4, वाराणसी
6	पीठ-फैजाबाद	पीठ - फैजाबाद	दि0 16.12.2024 से 18.12.2024	सदस्य, पीठ-1 इलाहाबाद सदस्य, पीठ -फैजाबाद
7	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ- मुजफ्फरनगर	दि0 09.12.2024 से 12.12.2024	सदस्य, पीठ-1 गाजियाबाद सदस्य, पीठ -3 कानपुर
8	पीठ आगरा	पीठ 1 व 2 आगरा	दि0 16.12.2024 से 19.12.2024	सदस्य, पीठ-1 आगरा सदस्य, पीठ -2, आगरा
9	पीठ-1, मेरठ	पीठ - 1 व 2 मेरठ	दि0 23.12.2024 से 27.12.2024	सदस्य, पीठ-1 मेरठ सदस्य, पीठ मुरादाबाद
10	पीठ अलीगढ़	पीठ अलीगढ़	दि0 09.12.2024 से 11.12.2024	सदस्य पीठ अलीगढ़ सदस्य पीठ-4, कानपुर
11	पीठ बरेली	पीठ बरेली	दि0 02.12.2024 से 05.12.2024	सदस्य, पीठ-बरेली सदस्य, पीठ 5 वाराणसी
12	पीठ मुरादाबाद	पीठ मुरादाबाद	दि0 16.12.2024 से 19.12.2024	सदस्य, पीठ अलीगढ़- सदस्य, पीठ- मुरादाबाद
13	पीठ झाँसी	पीठ झाँसी	दि0 02.12.2024 से 05.12.2024	सदस्य, पीठ-झाँसी सदस्य, पीठ- 2 इलाहाबाद

ह/-04.11.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: संख्या व दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सम्बन्धित समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- मुन्सिरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक यात्रा भत्ता/विवरण/वेब अधिकारी कम्प्यूटर मुख्यालय/नाज़िर मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित समस्त सदस्य उक्त युगलपीठ गठन का संज्ञान अपने स्तर से राज्य प्रतिनिधि कार्यालयों को भी अवगत करावें।
- 5- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

(तरुण कुमार)

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।